भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 206

सोमवार, 25 अप्रैल, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया वीक

अता.प्र.सं. 206 **श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**
श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मुम्बई में 'मेक इन इंडिया वीक' मनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम के दौरान विभिन्न भागीदारों/विदेशी कम्पनियों के साथ कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनसे आकर्षित निवेश/आकर्षित किए जाने वाले निवेश का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में ऐसे निवेशों की बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार को इस संबंध में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) जी, हां, 13-18 फरवरी, 2016 के दौरान मुंबई में मेक इन इंडिया वीक मनाया गया था।

(ख) इसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

लक्ष्य एवं उद्देश्य

- भारत की विनिर्माण क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए अवसर, निवेश के अवसर सृजित करना और भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में भावी निवेश के संबंध में अभिसरण एवं निर्णय के लिए वैश्विक सीईओ, विचारक समूहों, नीति निर्माताओं, कूटनीतिज्ञों तथा राजनीतिक नेताओं के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना।

प्रतिक्रियाएं:

- मेक इन इंडिया वीक कार्यक्रम में लगभग 9,00,000 विजिटर आए थे।
- 150 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें लगभग 1250 प्रवक्ताओं ने भाग लिया।
- 102 देशों के प्रतिनिधियों ने मेक इन इंडिया वीक में भाग लिया।
- इसमें भारतीय तथा वैश्विक कंपनियों के 100 से अधिक सीईओ ने भाग लिया।
- मेक इन इंडिया वीक के मौके पर 8000 से अधिक बी2बी, बी2जी तथा जी2जी बैठकें आयोजित की गईं।
- 20 देशों के मंत्रालयी राजनीतिक शिष्टमंडल ने मेक इन इंडिया वीक में भाग लिया।

(ग) और (घ): संबंधित राज्यों/मंत्रालयों से ब्यौरें एकत्रित किए जा रहे हैं।

(ङ): सरकार देश में निवेश लाने के लिए अनेक क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश खोलने; एफडीआई से संबंधित सुधार एवं उदारीकरण करने तथा देश में व्यवसाय करने की आसानी में सुधार करने जैसे विभिन्न उपाय कर रही है। हाल ही में की गई पहलें अनुबंध में दी गई हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 25.04.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 206 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

हाल ही में की गई पहलें

1. विनिर्दिष्ट रेल अवसंरचना परियोजनाओं में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है।
2. फेमा (भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारीकरण) विनियम की अनुसूची 4 के तहत एनआरआई, पीआईओ तथा ओसीआई द्वारा गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर किए गए निवेश, निवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश के समतुल्य घरेलू निवेश माने जाएंगे।
3. कोई कंपनी, ट्रस्ट तथा भागीदारी फर्म, जो भारत से बाहर निगमित है और जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण अनिवासी भारतीय का हो, के लिए भी अनिवासी भारतीयों हेतु उपलब्ध विशेष छूट उपलब्ध करायी गई है।
4. चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है।
5. बीमा क्षेत्र संबंधी एफडीआई नीति की स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 26% तक विदेशी निवेश किए जाने सहित 26% से 49% तक विदेशी निवेश की क्षेत्रगत सीमा बढ़ोत्तरी के लिए समीक्षा की गई है। पेंशन क्षेत्र संबधी नीति में समान परिवर्तन किए गए हैं।
6. एफडीआई नीति को सरल बनाने तथा विभिन्न क्षेत्रों संबंधी शर्तों एवं अनुमोदन अपेक्षाओं को लागू करने के संबंध में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से एक संयुक्त सीमा के तहत विदेशी निवेशों के विभिन्न प्रकारों को प्रतिमोच्च किया गया है।
7. व्हाइट लेबल एटीएम प्रचालनों में स्वत: अनुमोदन मार्ग के माध्यम से 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है।
8. निर्माण विकास क्षेत्र संबंधी एफडीआई नीति में किए गए सुधारों में शामिल हैं:
   क) निर्माण विकास परियोजनाओं में 20,000 वर्गमीटर के फ्लोर एरिया के एरिया संबंधी प्रतिबंध तथा व्यवसाय के शुरूआत के 6 माह की अवधि के भीतर किए जाने वाले 5 मिलियन अमरीकी डालर के न्यूनतम पूंजीकरण संबंधी शर्तों को हटाना।
   ख) तीन वर्षों की परिपक्वता अवधि के बाद विदेशी निवेश निर्गम एवं प्रत्यावर्तन की अब अनुमति दी गई है। निवेश के प्रत्यावर्तन के बिना एक अनिवासी से दूसरे अनिवासी को स्टेक का हस्तांतरण भी न तो किसी परिपक्वता अवधि और न ही किसी सरकारी अनुमोदन के अध्यधीन है।
   ग) यदि परियोजना अथवा मुख्य अवसंरचना परिपक्वता अवधि से पहले पूरी हो जाती है, तो किसी भी समय निर्गम की अनुमति।
   घ) टाऊनशिपों, मॉल्स/शॉपिंग काम्पलेक्सों तथा व्यवसाय केंद्रों के प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए पूर्ण परियोजनाओं में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है।

9. रक्षा क्षेत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों सहित स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, 49% के स्तर तक पोर्टफोलियो निवेश तथा एफवीसीआई द्वारा निवेश को स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति दी गई है। आधुनिक एवं अद्यतन प्रौद्योगिकी संबंधी विनिर्माण के मामले में सरकारी अनुमोदन के साथ मामले-दर-मामले आधार पर 49% से अधिक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

10. प्रसारण क्षेत्र संबंधी एफडीआई नीति को भी संशोधित किया गया है, जो इस प्रकार है:

क्षेत्र/गतिविधि	नई सीमा एवं प्रवेश मार्ग
6.2.7.1.1 (**(1) टेलिपोर्ट्स** (एचयूबी/टेलिपोर्ट्स अपलिंकिंग की स्थापना); **(2) डायरेक्ट टू होम** (डीटीएच) **(3) केबल नेटवर्क्स** (मल्टी सिस्टम आपरेटर्स (एमएसओ) जो राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा जिला स्तर पर कार्य कर रहे हैं और डिजीटलाइजेशन और एडरेसेबिलिटी के लिए नेटवर्क को उन्नत बना रहे हैं) **(4) मोबाइल टी वी;** **(5) हेडेण्ड इन द स्काई प्रसारण सेवा** (एचआइटीएस)	**100%** **(49% तक स्वत: अनुमोदन मार्ग और 49% से अधिक सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत)**
6.2.7.1.2 **केबल नेटवर्क्स** (डिजीटलाइजेशन और एडरेसेबिलिटी के लिए नेटवर्क को उन्नत नहीं कर रहे अन्य एमएसओ) और लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ))	
6.2.7.2 प्रसारण अंतर्वस्तु सेवाएं	
6.2.7.2.1 **टेरिस्ट्रियल प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो)**	**49%** **सरकारी अनुमोदन मार्ग**
6.2.7.2.2 'समाचार एवं समसामयिक विषयों' के टी वी चैनलों की अपलिंकिंग	
6.2.7.2.3 'गैर समाचार एवं समसामयिक विषयों' के टी वी चैनलों की अपलिंकिंग	**100%** **स्वत: अनुमोदन मार्ग**
टीवी चैनलों की डाउन लिंकिंग	

11. सरकार ने बैंकिंग-प्राइवेट सेक्टर में विदेशी निवेश की पूर्णत: प्रतिमोच्चयता की शुरूआत करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, एफआईआई/एफपीआई/क्यूएफआई, उचित प्रक्रिया को अपना कर, अब 74% की क्षेत्रगत सीमा तक निवेश कर सकते हैं, बशर्ते निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी के नियंत्रण और प्रबंधन में कोई परिवर्तन न हो।

12. सरकार ने कतिपय पौधारोपण क्रियाकलापों नामत: कॉफी, रबड़, इलायची, ताड़वृक्ष तेल तथा जैतून तेल वृक्षारोपण में स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

13. यह निर्णय लिया गया है कि किसी विनिर्माता को स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत ई-कामर्स के माध्यम सहित अपने उत्पाद थोक तथा/अथवा खुदरा व्यापार के जरिए बेचने की अनुमति होगी।

14. सरकार ने यह व्यवस्था करने के लिए कि खरीदे गए माल के मूल्य की 30% सोर्सिंग की गणना, प्रथम स्टोर के खुलने से की जाएगी, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) एफडीआई नीति की समीक्षा की है। 'अत्याधुनिक'तथा 'नवीनतम' प्रौद्योगिकी के मामले में सोर्सिंग मानदंडों में सरकारी अनुमोदन के अध्यधीन छूट दी जा सकती है। इसके अलावा, ब्रिक तथा मोर्टार स्टोरों के माध्यम से एसबीआरटी चलाने वाली किसी कंपनी को ई-कामर्स क्रियाकलाप कार्यान्वित करने की भी अनुमति प्रदान की गई है।

15. एसबीआरटी शुरू करने के लिए भारतीय ब्रांड भी एफडीआई के लिए समान रूप से पात्र हैं। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि अनिवासी कंपनी/कंपनियों द्वारा ब्रांड मालिक के रूप में अथवा ब्रांड मालिक के साथ कानूनी रूप से व्यवहार्य करार के तहत समान ब्रांड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचे

जाने वाले उत्पादों तथा निवेश संबंधी क्षेत्र में, भारतीय ब्रांड में एफडीआई के मामले में एफडीआई नीति संबंधी कतिपय शर्तों को लागू नहीं किया जाएगा।

16. अब सीमा शुल्क अनुबंधित क्षेत्रों में अवस्थित तथा कार्यरत ड्युटी मुक्त दुकानों में स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति है।

17. यह व्यवस्था करने के लिए कि किसी एकल कंपनी को एसबीआरटी तथा थोक दोनों कार्य करने के लिए अनुमति होगी, थोक नगद एवं कैरी कार्यों संबंधी एफडीआई नीति की समीक्षा की गई है।

18. अब जिन क्षेत्रों/क्रियाकलपों में स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति है तथा एफडीआई से जुड़ी कोई कार्यनिष्पादन शर्त नहीं है, उनमें कार्यरत सीमित दायित्व सहभागिता (एलएलपी) में स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति है। इसके अलावा, एलएलपी से संबंधित 'स्वामित्व' तथा 'नियंत्रण' शब्द भी परिभाषित किए गए है।

19. क्षेत्रीय वायु सेवा मार्ग परिवहन (आरएसओपी) के संबंध में स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, गैर-अनुसूचित-वायु मार्ग परिवहन सेवा, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के मामलों में विदेशी इक्विटी सीमा को स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।

20. सेटलाइट-स्थापना तथा प्रचालन, में विदेशी निवेश संबंधी सीमा को अब सरकारी अनुमोदन के अंतर्गत 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।

21. क्रेडिट सूचना कंपनियों पर विदेशी निवेश को अब स्वत: अनुमोदन के अंतर्गत 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।

22. सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भारतीय कंपनी जिसका कोई प्रचालन कार्य नहीं है तथा जिसके पास कोई डाउनस्ट्रीम निवेश भी नहीं है के संदर्भ में स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत तथा जो एफडीआई से जुड़े कार्य-निष्पादन संबंधी शर्तों के बिना निष्पादित किए जाने वाले कार्यकलापों के लिए सरकारी अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।

23. सरकारी अनुमोदन की अपेक्षा वाली सीमाओं वाले क्षेत्रों/क्रियाकलापों में भारतीय कंपनी की स्थापना तथा स्वामित्व अथवा नियंत्रण संबंधी एफडीआई नीति की समीक्षा यह व्यवस्था करने के लिए की गई है कि यदि संबंधित कंपनी सीमागत क्षेत्रों की अपेक्षा उन क्षेत्रों/क्रियाकलापों में कार्यरत है जो कि सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत हैं, तो सरकारी अनुमोदन अपेक्षित होगा। इसके अलावा, शेयरों की अदला-बदली के जरिए स्वत: अनुमोदन मार्ग वाले क्षेत्रों में निवेश हेतु सरकारी अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

24. कृषि तथा पशुपालन, खनन, टाइटेनियम वाले खनिजों तथा अयस्कों में से खनिज-निष्कर्षण, इसके मूल्य संवर्धन तथा एकीकृत क्रियाकलापों से संबंधित एफडीआई नीति की कतिपय शर्तों को आसान बनाया गया है।

25. अधिकांश प्रस्तावों पर तीव्रतर अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने एफआईपीबी द्वारा अनुमोदन की सीमा को बढ़ाकर 5000 करोड़ रूपए करने का निर्णय लिया है।

26. इसके अलावा, वित्त मंत्री ने 29.2.2016 को अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि भारत में विनिर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन में एफआईपीबी रूट के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति दी जाएगी। इससे किसानों को लाभ मिलेगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा बड़े स्तर पर रोजगार अवसरों का सृजन होगा।

*****